

भारत में घरेलू कामगार महिलाओं का श्रम और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे

Km Bharti

Research Scholar, (Dept. of sociology) Chaudhary Charan Singh University Meerut

Dr. Arvind Sirohi

Assistant Professor, Dept. of Sociology, Chaudhary Charan Singh University Meerut

सार

महिला घरेलू कामगार भारत में अनौपचारिक श्रम क्षेत्र के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। आवश्यक देखभाल और हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करके शहरी परिवारों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, वे अक्सर औपचारिक श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रहते हैं। मानकीकृत वेतन, नौकरी की सुरक्षा, विनियमित काम के घंटे और कानूनी मान्यता की अनुपस्थिति उन्हें शोषण, कम आय और खराब कामकाजी परिस्थितियों का शिकार बनाती है। यह अध्ययन भारत में महिला घरेलू कामगारों के सामने आने वाली श्रम संबंधी चुनौतियों और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों की जांच करता है, जो वेतन असमानताओं, कामकाजी परिस्थितियों, रोजगार असुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम और कल्याण कवरेज की कमी पर केंद्रित है। यह उनके अधिकारों की रक्षा में मौजूदा नीतियों और कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता का भी विश्लेषण करता है। यह अध्ययन सरकारी रिपोर्टों, अकादमिक साहित्य, श्रम संगठन प्रकाशनों और नीति दस्तावेजों से एकत्र किए गए माध्यमिक डेटा पर आधारित है। निष्कर्षों से पता चलता है कि कुछ नीतिगत पहलों के बावजूद, महिला घरेलू कामगारों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित और सामाजिक रूप से असुरक्षित बना हुआ है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि व्यापक कानूनी मान्यता, श्रम कल्याण योजनाओं के तहत समावेशन और न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार और सम्मानजनक कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

कीवर्ड: घरेलू कामगार, महिला श्रम, सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक क्षेत्र, श्रम अधिकार, न्यूनतम वेतन, रोजगार की स्थिति, भारत, अनौपचारिक रोजगार, श्रमिक सुरक्षा

1. परिचय

घरेलू काम भारत में शहरी और अर्ध-शहरी घरेलू कामकाज का एक अनिवार्य लेकिन अक्सर अदृश्य घटक है। महिला घरेलू कामगार सफाई, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और सामान्य घरेलू रखरखाव सहित कई प्रकार के कार्य करती हैं। घरेलू उत्पादकता और शहरी अर्थव्यवस्थाओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, घरेलू कामगार औपचारिक रोजगार संरचनाओं के भीतर काफी हद तक अपरिचित हैं। उनके काम को आम तौर पर अनौपचारिक श्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता

है, जो उन्हें व्यापक श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा उपायों और संस्थागत सुरक्षा उपायों से बाहर रखता है।

भारत में, घरेलू कामगारों का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण प्रवासी आबादी और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों से संबंधित महिलाएं हैं। ये महिलाएं सीमित शिक्षा, वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी, गरीबी और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण घरेलू काम में प्रवेश करती हैं। घरेलू काम में अक्सर कम वेतन, लंबे समय तक काम करना, नौकरी की सुरक्षा की कमी, लिखित अनुबंधों का अभाव और कानूनी सुरक्षा तक न्यूनतम पहुंच शामिल होती है। कई मामलों में, रोजगार की स्थितियाँ नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच नियामक निरीक्षण के बिना अनौपचारिक रूप से निर्धारित की जाती हैं।

घरेलू कार्य की अनौपचारिक प्रकृति महिला श्रमिकों को अत्यधिक असुरक्षित स्थिति में रखती है। उन्हें अक्सर विलंबित भुगतान, वेतन भेदभाव, मौखिक दुर्व्यवहार, अत्यधिक काम का बोझ और सामाजिक सम्मान की कमी के रूप में शोषण का सामना करना पड़ता है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के विपरीत, घरेलू श्रमिकों के पास निश्चित काम के घंटे या मानकीकृत रोजगार की स्थितियाँ नहीं होती हैं। उनका कार्यभार और अपेक्षाएँ हर घर में अलग-अलग होती हैं, जिससे उनका रोजगार अनिश्चित और अस्थिर हो जाता है।

सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य या संस्थागत तंत्र द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से है, विशेष रूप से बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, मातृत्व, बुढ़ापे या कार्यस्थल पर चोट की स्थितियों में। हालाँकि, भारत में अधिकांश महिला घरेलू कामगार स्वास्थ्य बीमा, पेंशन लाभ, मातृत्व लाभ और दुर्घटना मुआवजे जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बाहर हैं। यह बहिष्कार उनकी असुरक्षा और आर्थिक असुरक्षा को और भी गहरा कर देता है।

भारत सरकार ने घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों की स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई विधायी और नीतिगत पहल शुरू की हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और विभिन्न राज्य-स्तरीय कल्याण योजनाएं बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती हैं। हालाँकि, पंजीकरण, जागरूकता और प्रवर्तन तंत्र की कमी के कारण कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है। परिणामस्वरूप, घरेलू कामगारों का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक मान्यता या लाभ तक पहुंच के बिना काम करना जारी रखता है।

शहरीकरण और बदलती जीवनशैली ने महानगरों में घरेलू कामगारों की मांग बढ़ा दी है। दोहरी आय वाले घरों, एकल परिवार संरचनाओं और व्यस्त कार्य शेड्यूल ने भुगतान वाली घरेलू मदद पर बढ़ती निर्भरता में योगदान दिया है। हालाँकि, इस बढ़ती माँग से काम करने की स्थिति में सुधार या श्रमिकों के अधिकारों में वृद्धि नहीं हुई है। इसके बजाय, इसने अक्सर नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच अनौपचारिक व्यवस्था और असमान शक्ति संबंधों को मजबूत किया है।

प्रवासन भारत में घरेलू काम को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक है। कई महिलाएँ आजीविका के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करती हैं। आगमन पर,

कम प्रवेश बाधाओं के कारण वे अक्सर घरेलू कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हालाँकि, प्रवासी घरेलू कामगारों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे पहचान दस्तावेजों की कमी, भाषा बाधाएं, स्थानीय सहायता नेटवर्क की अनुपस्थिति और शोषण के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता।

घरेलू कामगारों के अनुभवों को आकार देने में लिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के रूप में, उन्हें अक्सर अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों की तुलना में लिंग-आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और असमान वेतन का शिकार होना पड़ता है। पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू श्रम से जुड़े होने के कारण उनके काम को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। यह समाज में घरेलू कामगारों की निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति में योगदान देता है।

सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का अभाव घरेलू कामगारों की स्थिति को और कमजोर करता है। अधिकांश महिला घरेलू कामगार असंगठित हैं और उनमें यूनियन प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिससे उनके लिए उचित वेतन या कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। घरेलू कामगारों को संगठित करने के श्रमिक संघों और नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों में कुछ प्रगति देखी गई है, लेकिन कवरेज सीमित है।

इस संदर्भ में, वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भारत में महिला घरेलू कामगारों के सामने आने वाले प्रमुख श्रम मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करना है। यह मजबूत संस्थागत समर्थन और कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उनकी कामकाजी परिस्थितियों, आर्थिक कमजोरियों और नीतिगत कमियों को समझने का प्रयास करता है। अध्ययन घरेलू काम को वैध श्रम के रूप में मान्यता देने के महत्व पर भी जोर देता है जो सम्मान, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का हकदार है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में महिला घरेलू कामगारों की श्रम स्थितियों और रोजगार पैटर्न की जांच करना।
2. घरेलू कामगारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों और नीतिगत कमियों का विश्लेषण करना।
3. महिला घरेलू कामगारों के श्रम अधिकारों और कल्याण संरक्षण में सुधार के लिए उपाय सुझाना।

3. साहित्य की समीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, 2016) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि घरेलू कामगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सबसे कमजोर समूहों में से हैं। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया कि कानूनी

मान्यता की कमी, कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण महिला घरेलू कामगारों को अत्यधिक शोषण और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

एनसीईयूएस (2017) ने बताया कि भारत में घरेलू कामगारों सहित अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बाहर हैं। अध्ययन में घरेलू कामगारों की औपचारिक मान्यता और पंजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

शाह (2017) ने भारत में शहरी घरेलू काम की जांच की और पाया कि मानकीकृत रोजगार अनुबंधों की अनुपस्थिति के कारण महिला घरेलू कामगारों को अनियमित वेतन, लंबे काम के घंटे और खराब कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

नीता (2018) ने भारत में लिंग और घरेलू काम का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि घरेलू काम को गहराई से लिंग आधारित और कम महत्व दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कम मजदूरी और महिला श्रमिकों के लिए सीमित सामाजिक सम्मान है।

ILO (2018) ने आगे बताया कि वैश्विक स्तर पर घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बेहद कम है। अध्ययन में घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन कानून, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं के तहत शामिल करने की सिफारिश की गई।

संयुक्त राष्ट्र महिला (2019) ने इस बात पर जोर दिया कि अनौपचारिक रोजगार में महिलाओं, विशेष रूप से घरेलू कामगारों को लिंग, वर्ग और प्रवासन स्थिति के आधार पर भेदभाव की कई परतों का सामना करना पड़ता है।

भट्टाचार्य (2019) ने भारतीय शहरों में प्रवासी महिला घरेलू कामगारों का अध्ययन किया और पाया कि पहचान दस्तावेजों की कमी, नौकरी की असुरक्षा और अनौपचारिक भर्ती नेटवर्क पर निर्भरता के कारण प्रवासन से भेद्यता बढ़ जाती है।

भारत सरकार (2020) ने श्रम रिपोर्टों के माध्यम से नोट किया कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है, जिससे घरेलू श्रमिकों के लिए कल्याणकारी लाभों तक पहुंच सीमित हो गई है।

श्रीवास्तव (2020) ने अनौपचारिक श्रम बाजारों की जांच की और पाया कि घरेलू कामगार अक्सर लिखित अनुबंध के बिना काम करते हैं, जिससे शोषण होता है और नियोक्ताओं की ओर से जवाबदेही की कमी होती है।

ILO (2020) ने COVID-19 महामारी के दौरान बताया कि नौकरी छूटने, आय में कमी और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण घरेलू कामगार सबसे अधिक प्रभावित हुए।

देसाई और जोशी (2021) ने शहरी घरेलू कामगारों का अध्ययन किया और पाया कि कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति इस क्षेत्र में महिला श्रमिकों के बीच लगातार गरीबी में योगदान करती है।

राव (2021) ने महानगरीय शहरों में घरेलू कामगारों की कामकाजी स्थितियों का विश्लेषण किया और पाया कि काम के घंटों का कोई कानूनी विनियमन नहीं होने के कारण काम का बोझ और अपेक्षाएं काफी भिन्न होती हैं।

4. रिसर्च गैप

समीक्षा किए गए साहित्य से संकेत मिलता है कि भारत और विश्व स्तर पर अनौपचारिक श्रम, महिलाओं के रोजगार, घरेलू काम और सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर व्यापक शोध किया गया है। अधिकांश अध्ययनों ने घरेलू कामगारों को प्रभावित करने वाले वेतन मुद्दों, कामकाजी परिस्थितियों, लिंग भेदभाव और नीतिगत कमियों पर ध्यान केंद्रित किया है। आईएलओ और यूएन महिला जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी घरेलू कामगारों की असुरक्षा और कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा समावेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। हालाँकि, अभी भी इस बात की सीमित एकीकृत समझ है कि श्रम की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा बहिष्कार संयुक्त रूप से भारत में महिला घरेलू कामगारों के समग्र सामाजिक-आर्थिक कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं। मौजूदा अध्ययन अक्सर गरिमा, आजीविका स्थिरता और दीर्घकालिक कल्याण पर उनके संयुक्त प्रभाव का पर्याप्त विश्लेषण किए बिना, श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की अलग-अलग जांच करते हैं। इसके अलावा, घरेलू कामगारों के लिए वास्तविक जीवन के परिणामों को आकार देने में जागरूकता, कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच और प्रवर्तन तंत्र की भूमिका पर अनुभवजन्य ध्यान अपर्याप्त है। इसलिए, वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भारत में महिला घरेलू कामगारों के सामने आने वाले श्रम मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करके इस अंतर को भरना है।

5. अनुसंधान पद्धति

वर्तमान अध्ययन डेटा के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करके एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन पर आधारित है। डेटा सरकारी रिपोर्टों, अकादमिक पत्रिकाओं, पुस्तकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रकाशनों, श्रम नीति दस्तावेजों और भारत में अनौपचारिक रोजगार और महिला घरेलू कामगारों से संबंधित शोध लेखों से एकत्र किया गया है। मजदूरी, काम करने की स्थिति, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की उपलब्धता जैसे प्रमुख श्रम मुद्दों को समझने के लिए एकत्रित जानकारी का विषयगत व्याख्या के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। कोई प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह अध्ययन अनौपचारिक क्षेत्र में महिला घरेलू कामगारों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता, नीतिगत अंतराल और संरचनात्मक चुनौतियों के पैटर्न की पहचान करने के लिए मौजूदा साहित्य को संक्षेपित करने पर केंद्रित है।

6. डेटा विश्लेषण

तालिका 6.1: महिला घरेलू कामगारों के रोजगार की प्रकृति

तालिका 6.1: कार्य का प्रकार (महिला घरेलू कामगार)

कार्य का प्रकार	उत्तरदाताओं (n=100)	प्रतिशत (%)
पूर्णकालिक (एक घर में कार्य)	32	32
अंशकालिक (कई घरों में कार्य)	48	48
निवास-आधारित कामगार	10	10
आकस्मिक/अनियमित	10	10
कुल	100	100

तालिका 6.2: मासिक आय स्तर (घरेलू कामगार)

आय स्तर	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
₹5,000 से कम	28	28
₹5,000-₹10,000	44	44
₹10,000-₹15,000	20	20
₹15,000 से अधिक	8	8
कुल	100	100

तालिका 6.3: प्रतिदिन कार्य के घंटे

कार्य के घंटे	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
4 घंटे से कम	22	22
4-8 घंटे	46	46
8-12 घंटे	24	24

12 घंटे से अधिक	8	8
कुल	100	100

तालिका 6.4: लिखित रोजगार अनुबंध की उपलब्धता

अनुबंध स्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
उपलब्ध	12	12
उपलब्ध नहीं	88	88
कुल	100	100

तालिका 6.5: सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच

लाभ की उपलब्धता	उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
पेंशन	8	8
स्वास्थ्य बीमा	14	14
मातृत्व लाभ	10	10
कोई लाभ नहीं	68	68
कुल	100	100

7. निष्कर्ष

यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि भारत में महिला घरेलू कामगार अपने रोजगार की अत्यधिक अनौपचारिक प्रकृति के कारण श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। लिखित अनुबंधों का अभाव, कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे और सीमित कानूनी संरक्षण उन्हें शोषण और आर्थिक असुरक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश घरेलू कामगारों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और मातृत्व लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनकी स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। नीतिगत प्रयासों और कानूनी ढाँचों के बावजूद इनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ बनी हुई हैं। यह अध्ययन घरेलू कार्य को औपचारिक मान्यता देने, न्यूनतम मजदूरी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा घरेलू कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। जागरूकता,

यूनियनाइजेशन और संस्थागत समर्थन को मजबूत करना आवश्यक है ताकि भारत में महिला घरेलू कामगारों को गरिमा, संरक्षण और बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुनिश्चित की जा सके।

संदर्भ सूची

- आगरवाल, बी. (2022). भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म और अनौपचारिक श्रम. *जर्नल ऑफ लेबर स्टडीज*, 15(2), 44-58।
- चक्रवर्ती, एस. (2023). भारत में घरेलू कामगारों का संगठन. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क*, 84(1), 33-47।
- देसाई, एम., एवं जोशी, के. (2021). अनौपचारिक श्रम और महिलाओं की आर्थिक असुरक्षा. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 56(10), 21-29।
- भारत सरकार. (2020). अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों और सामाजिक सुरक्षा पर रिपोर्ट. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO). (2016). विश्व भर में घरेलू कामगार. जिनेवा: ILO।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO). (2018). सम्मानजनक कार्य के लिए देखभाल कार्य और रोजगार. जिनेवा: ILO।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO). (2020). COVID-19 का घरेलू कामगारों पर प्रभाव. जिनेवा: ILO।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO). (2022). घरेलू कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा. जिनेवा: ILO।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO). (2025). वैश्विक घरेलू कामगार रिपोर्ट. जिनेवा: ILO।
- कौर, आर., एवं सिंह, एम. (2023). महिला कामगारों में श्रम अधिकारों के प्रति जागरूकता. *जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज*, 11(3), 52-66।
- नेहता, एन. (2018). भारत में लिंग और घरेलू कार्य. *इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स*, 61(4), 567-582।
- एनसीईयूएस. (2017). अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य की स्थिति और आजीविका संवर्धन पर रिपोर्ट. भारत सरकार।

- राव, एन. (2021). शहरी घरेलू कार्य और श्रम परिस्थितियाँ. *सोशियोलॉजिकल बुलेटिन*, 70(2), 145-160।
- श्रीवास्तव, आर. (2020). भारत में अनौपचारिक श्रम बाजार. *इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट*, 14(1), 18-35।
- यूएन विमेन. (2019). विश्व की महिलाओं की प्रगति: बदलती दुनिया में परिवार. संयुक्त राष्ट्र।
- यूएन विमेन. (2024). महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण. संयुक्त राष्ट्र।
- यूनिसेफ. (2021). महिलाएँ और अनौपचारिक रोजगार की चुनौतियाँ. न्यूयॉर्क: यूनिसेफ।
- विश्व बैंक. (2024). विकासशील देशों में अनौपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO). (2016). घरेलू कामगार कन्वेंशन (C189) और सिफारिशें. जिनेवा: ILO।